न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

(प्रथम लिंक अधिकारी)

2025-329RAAJodhpur2025-85RTA225 Aidansingh ors Vs Kishansingh etc

01. आईदान सिंह पुत्र मांगीलाल
02. आम्बसिंह पुत्र मांगीलाल
03. खीमसिंह पुत्र मांगीलाल
04. भंवर सिंह पुत्र मांगीलाल
    जातियान पुरोहित निवासीयान माजीवाला तहसील पचपदरा जिला बालोतरा।

अपीलाण्ट्स ...

ब
ना
म

1. किशन सिंह पुत्र पीथाराम
2. जोईत सिंह पुत्र पीथाराम
3. मोरो देवी पत्नी पीथाराम
4. शैतान सिंह पुत्र पीथाराम
5. सवाई सिंह पुत्र पीथाराम
6. भूरसिंह पुत्र पीथा उर्फ पृथ्वीसिंह
7. बाबुसिंह पुत्र पीथा उर्फ पृथ्वी सिंह
8. दयाल सिंह पुत्र पीथा उर्फ पृथ्वी सिंह
9. तगु देवी पत्नी पीथा उर्फ पृथ्वी सिंह
10. छगन सिंह पुत्र देवी पुरोहित
11. हनुमान सिंह पुत्र देवी
    जातियान पुरोहित निवासीयान माजीवाला तहसील पचपदरा जिला बालोतरा।
12. मैनेजर एस.बी.आई. शाखा आसोतरा
13. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 27 जून 2025 सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बालोतरा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 78/2025 अनवान किशनसिंह व अन्य बनाम आईदानसिंह इत्यादि

उपस्थित–
श्री प्रेमसिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री बांकाराम चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या एक से पांच

नि र्ण य

दिनांक : 23 अप्रैल 2026

अपीलाण्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बालोतरा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 78/2025 अनवान किशनसिंह व अन्य बनाम आईदानसिंह इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 27 जून 2025 के खिलाफ आलौच्य अपील

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काष्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 08 जुलाई 2025 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक से पांच ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत आवेदन प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि मौजा माजीवाला तहसील पचपदरा के खसरा नंबर 1092/855(वर्तमान खसरा नंबर 1350/1092) में आवागमन हेतु अपीलांट्स की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1322/867 व 1100/868 में से रास्ता चाहा गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27 जून 2025 को आवेदन स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन रास्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के प्रावधानों के विपरीत जाकर अपीलान्टगण की खातेदारी भूमि खेत खसरा नंबर 1322/867 व 1100/868 को दो भागों में बांटकर उसके बीचों बीच से रास्ता प्रदान किया गया है, जिससे अपीलान्टगण की खातेदारी भूमि के भौतिक स्वरूप व उपयोगिता को नष्ट किया गया है, जबकि मौका रिपोर्ट में संलग्न नक्शा अनुसार उत्तरदाता संख्या 1 से 5 को उनकी खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए मौके पर दो रास्ते प्रस्तावित किए थे, जिसमें एक रास्ता खसरा नंबर 1089/855 व 1087/855 की भूमि से लगता है और दूसरा रास्ता खसरा नंबर 1101/868 व 1104/871 की भूमि पर अवस्थित आवासीय कॉलोनी में से चल रहा है। तहसीलदार द्वारा उत्तरदाता संख्या 1 से 5 की भूमि पर आवागमन हेतु उक्त रास्तों को उपयुक्त माना था, लेकिन अदालत मातहत ने तहसीलदार व हल्का पटवारी की मौका रिपोर्ट दिनांक 07.04.2025 को दरकिनार करते हुए अन्य मौका रिपोर्ट दिनांक 16.06.2025 के आधार पर उत्तरदाता संख्या 1 से 5 के तरमीम आवेदन को स्वीकार करते हुए खसरा नंबर 1321/867 रकबा 9 बिस्वा की भूमि को पूर्व तरमीम स्थल से दुरूस्त करते हुए अपीलान्टगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1100/868 व 1322/867 के बीचोंबीच कर प्रकरण में नवीन रास्ता देने का आदेश दिनांक 27.06.2025 को पारित कर दिया जो धारा 251 (क) के प्रावधानों के विपरीत है, क्योंकि उत्तरदाता संख्या 1 से 5 के पास खसरा नंबर 889/855 व 1087/855 व 1101/868 व 1104/871 दोनों तरफ से रास्ता मौजूद था जो वर्तमान में चलायमान स्थिति में है, लेकिन उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दोनों चलायमान रास्तों के मौके पर मौजूद होने के बावजूद भी अपीलान्टगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1100/868 व 1322/867 के बीचों बीच नवीन रास्ता देने का आदेश पारित किया है जो विधि विरूद्ध है। धारा 251 (क) में यह स्पष्ट प्रावधान किया है कि किसी भी खातेदार को उसकी जोत से आने–जाने के लिए पूर्व में चलायमान रास्ता यदि मौजूद हो तो उसमें से रास्ता दिया जाएगा, प्रभावित खातेदार की खातेदारी जोत को दो भागों में विभक्त नहीं किया जाएगा, लेकिन अदालत मातहत ने अपीलान्ट की खातेदारी भूमि 1100/868 व 1322/867 जो अपीलान्ट की संयुक्त भूमि है, जिस पर अपीलान्टगण की काश्त की हुई है, को दो भागों में

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

विभक्त कर उत्तरदातागण को रास्ता देने का आदेश पारित किया है। यह भी उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत पारित न कर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131, 136 के तहत पारित किया जाना प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है, क्योंकि विचारण न्यायालय द्वारा अपने आदेश में उत्तरदातागण की क्रयसुदा भूमि खसरा नंबर 1321/867 जो अपीलान्टगण द्वारा रास्ते के लिए ही उत्तरदाता को बेचान की थी, जो मौके पर तरमीम थी, की तरमीम दुरूस्ती कर उत्तरदातागण को रास्ता देने का आदेश दिया गया है, जिस कारण उक्त आदेश धारा 251 (क) के तहत न होकर 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत तथ्यों एवं दस्तावेजों का अवलोकन किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो विधिविरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 78/2025 अनवान किशन सिंह बनाम आईदान सिंह पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27 जून 2025 को निरस्त किया जावे एवं मौके पर चलायमान रास्ते को उत्तरदाता संख्या 1 से 5 को उनकी खातेदारी भूमि पर आने–जाने के लिए स्वीकृत किया जावे।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए कथन किया कि रेस्पोडेंट्स द्वारा अपनी खातेदारी भूमि मौजा माजीवाला में अवस्थित खसरा संख्या 1092/855 वर्तमान खसरा संख्या 1350/1092 में कृषि कार्य हेतु अपीलांट्स की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1093/855 व 1086/855 में से प्रार्थ्ज्ञना पत्र के साथ सलंग्न परिशिष्ट 'अ' में वर्णित मार्क अ से ब रास्ता चाहा गया था। विचारण न्यायालय द्वारा तहसीलदार पचपदरा से तलब मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण के द्वारा अपने आवागमन हेतु विप्रार्थीगण से खसरा संख्या 1321/867 की भूमि खरीद की गई, किन्तु उक्त खसरा संख्या 1321/867 के आंशिक भाग पर अपीलांटगण के आवासीय मकान होने से सम्पूर्ण भूमि का भाग रास्ते हेतु उपयोग नहीं आ रहा था। खसरा संख्या 1321/867 की भूमि रास्ते हेतु प्रार्थीगण ने विप्रार्थीगण से जरिये पंजीकृत दस्तावेज प्राप्त की, उसके बदले विप्रार्थीगण को प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी की भूमि में से रकबा 4 बीघा भूमि उसी दिन जरिये पंजीकृत दस्तावेज के हस्तांतरित की गई थी, जिसका पंजीयन दस्तावेज भी उसी समय विप्रार्थीगण/उनके परिवार के सदस्यों के नाम करवाया। चूंकि खसरा संख्या 1321/867 के आंशिक भाग पर आवासीय मकान होने से प्रार्थीगण ने मानवता के नाते उस स्थान पर रास्ता घोषित नहीं करवाकर, खसरा संख्या 1100/868 व 1105/871 के सेढ़े पर रास्ता घोषित करवाने का निवेदन किया गया था। यह उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट्स द्वारा खरीद किये गये रकबे अनुसार ही अपीलाधीन आदेश के जरिये में खसरा संख्या 1321/867 में रास्ते के रूप में भूमि दर्ज की गयी और उसके आगे विप्रार्थीगण के खातेदारी में खसरा संख्या 1322/867 में से रास्ते हेतु भूमि घोषित की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

जिस स्थान से रास्ता घोषित किया गया, वहां पर कोई पक्का निर्माण नहीं है और न ही किसी खातेदारी खेत को दो भागों में विभक्त ही किया गया है। विप्रार्थी/अपीलांट्स मात्र अपनी जिद्द के कारण प्रार्थीगण/रेस्पोंडेंट को रास्ता देना नहीं चाहते है और अन्य स्थान पर रास्ता होने का गलत कथन कर रहे है, जबकि जिस स्थान पर अपीलांट/विप्रार्थीगण प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट के आवागमन हेतु रास्ते का विकल्प बता रहे है ,वो न तो संभव है, न ही निकटतम दूरी का विकल्प है और न रेकर्ड में तरमीमसुदा रास्ता ही है, बल्कि अन्य व्यक्तियों के खातेदारी की भूमि का भाग है, यदि जैसा वर्तमान अपीलांट्स जिस स्थान पर रास्ता घोषित करने का कथन कर रहे है, वहां रास्ता घोषित किया गया तो नयी लड़ाई और अन्य पक्षकारों से वर्तमान प्रकरण के रेस्पोडेंटगण/प्रार्थीगण को लड़नी पड़ेगी। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत सुस्पष्ट, पढनीय एवं सकारण अपीलाधीन पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक .त्रुटि नहीं है। वास्तव में तो वर्तमान प्रकरण के अपीलांट्स ने रेस्पोडेंट को रास्ता देने के बदले 4 बीघा भूमि भी ले ली, जिसके खसरा संख्या 1351/1092 है, जिसकी आज कीमत करोड़ो रूपये है और चालाकी कर उक्त 4 बीघा भूमि के बदले दिये गये रास्ते को अन्य स्थान पर देने की बात कर रहे है। रेस्पोडेंट्स ने जिस खसरा संख्या में से रास्ता हेतु, जिस स्थान पर भूमि ली है, उसी खसरे में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा मानवीय दृष्टिकोण अपनाकर न्यायहित में रखी है, जिससे किसी भी पक्षकार का न तो कब्जा प्रभावित हुआ और न हित, अधिकार प्रभावित हुए है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश की रेकर्ड, नक्शा एवं जमाबंदी में पालना हो चुकी है। अपीलांट्स येन–केन प्रकारेण रेस्पोडेंटगण को रास्ता नहीं देना चाहते है और रास्ते का बिन्दू मुछ की लड़ाई के रूप में लड़ना चाहते है। विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रस्तुत मौका फर्द के आधार पर धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की मंशा अनुरूप लघुतम एवं निकटतम रास्ते का विधिसम्मत आदेश पारित किया है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध पृथक–पृथक बेचाननामों दिनांक 05.05.2016 के मुताबिक रेस्पोडेंट्स मोरो, किशनसिंह, सवाईसिंह, शैतानसिंह एवं जोईतसिंह द्वारा अपीलार्थीगण की माता प्यारीदेवी पत्नी मांगीलाल को अपनी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1092/855 रकबा 29.12 बीघा में से रकबा 04.00 बीघा भूमि बेचान किया जाना प्रकट होता है तथा उसी रोज पंजीबद्ध दस्तावेज दिनांक 05.05.2016 के जरिये अपीलांट्स के पिता/खातेदार मांगीलाल द्वारा अपनी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 867 रकबा 20.02 बीघा भूमि में से रकबा 09 बिस्वा भूमि रेस्पो. किशनसिंह, सवाईसिंह, शैतानसिंह, जोईतसिंह (2/3 हिस्सा) एवं क्रेता खीमसिंह (1/3 हिस्सा) को निजी रास्ते के उद्धेश्य से बेचाननामा में हदूदे दर्शाकर भूमि बेचान किया जाना प्रकट होता है। उक्त बेचाननामा में रास्ते के रूप में बेचान की गई भूमि के पश्चिम दिशा में कच्चा कटाणी रास्ता बताया गया है। रेस्पो. द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आवेदन में उक्त खरीद की गई भूमि को ही रास्ते के रूप में घोषि करवाये जाने का अनुतोष चाहा

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

गया है। दौराने बहस एवं उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य भी सामने आया है कि बेचाननामा दिनांक 05.05.2026 के जरिये अपीलांट्स के पिता द्वारा बेचान की गई भूमि रकबा 09 बिस्वा की जो हदूदे बतायी गई है, वहां पर अपीलांट्स के मकानात बने हुए है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य को मध्यनजर रखते हुए पटवारी हल्का से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 20.06.2025 के परिप्रेक्ष्य में उक्त मकानात को संरक्षित रखते हुए उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत धारा 251 की मंशा के अनुरूप मौके पर इसी खसरे की खाली भूमि में से लघुतम एवं निकटतम रास्ते का विधिसम्मत आदेश पारित किया जाना पाया जाता है।

अपीलांट्स का कथन है कि वे अपने खेत की माठ के सहारे–सहारे अन्य स्थान से रास्ता देने हेतु सहमत है। इस संबंध में उपलब्ध अभिलेख से यह स्पष्ट साबित है कि अपीलाधीन रास्ता निकटतम है तथा अपीलांट्स अपने पिता द्वारा रास्ते के उद्धेश्य से निष्पादित बेचाननामे से पाबंद है। लिहाजा अपीलांट्स का उक्त उज्र स्वीकार्य नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्षकारान् को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत आदेश पारित किया जाना प्रकट होता है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की मंशा अनुरूप लघुतम रास्ते का विधिसम्मत आदेश पारित किये जाने से अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विष्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट गुणावगुण पर स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बालोतरा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 78/2025 अनवान किशनसिंह व अन्य बनाम आईदानसिंह इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 27 जून 2025 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश आरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर